न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **158/22 (वाद)**

GCMS No. : 2022/404

1. श्री नोजीराम पिता चुना जी जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
2. श्री गोविन्दा पिता चुना जी जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
3. श्री मोहनलाल पिता डालु जी जाति भील निवासी–ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.) ....वादीगण

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता गांगा जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
2. श्री रूपलाल पिता गांगा जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती फेफली पुत्री गांगा पत्नी मुला जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.) हाल मुकाम आसोलिया की मादड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर।
4. श्रीमती संजुड़ी पुत्री गांगा जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती भुरकी पत्नी गांगा जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
6. श्री नाथु पिता जेता जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती तुलसी पुत्री जेता पत्नी गोविन्दा जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.) हाल मुकाम नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
8. श्रीमती सरसी पुत्री जेता पत्नी मांगीलाल जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर हाल मुकाम करगेट तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
9. श्रीमती अम्बावी पत्नी जेता जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
10. श्री कालु पिता डालु जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
11. श्री खरता पिता डालु जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
12. श्री प्रेम पिता डालु जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:46:19 IST
Reason: SelfAttested

13. श्रीमती लीला पुत्री डालु पत्नी दल्लाराम जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
14. श्रीमती गेन्दीबाई पत्नी डालु जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
15. श्रीमती नानी पुत्री चुना पत्नी बाबुलाल जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
16. पटवारी पटवार हल्का गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 से 15

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 28.05.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आंवलियो का कुआ पटवार हल्का गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर की आराजी नम्बर 279 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं प्रतिवादी 6 से 9 के पिता जेता पिता चुना भील के नाम पर एवं अन्य सहखातेदारान के नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज है। जेता पिता चुना भील का निधन हो गया है जिनके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 6 से 9 तक है। आराजी नम्बर 275, 276, 277, 278 किता 4 कुल रकबा 0.8985 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के पिता जेता पिता चुना भील के नाम पर एवं धरमा पिता पुरा भील के नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज है। जेता पिता चुना भील का निधन हो गया है। जिनके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 6 से 9 तक है।
2. यह कि हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:46:19 IST
Reason: SelfAttested

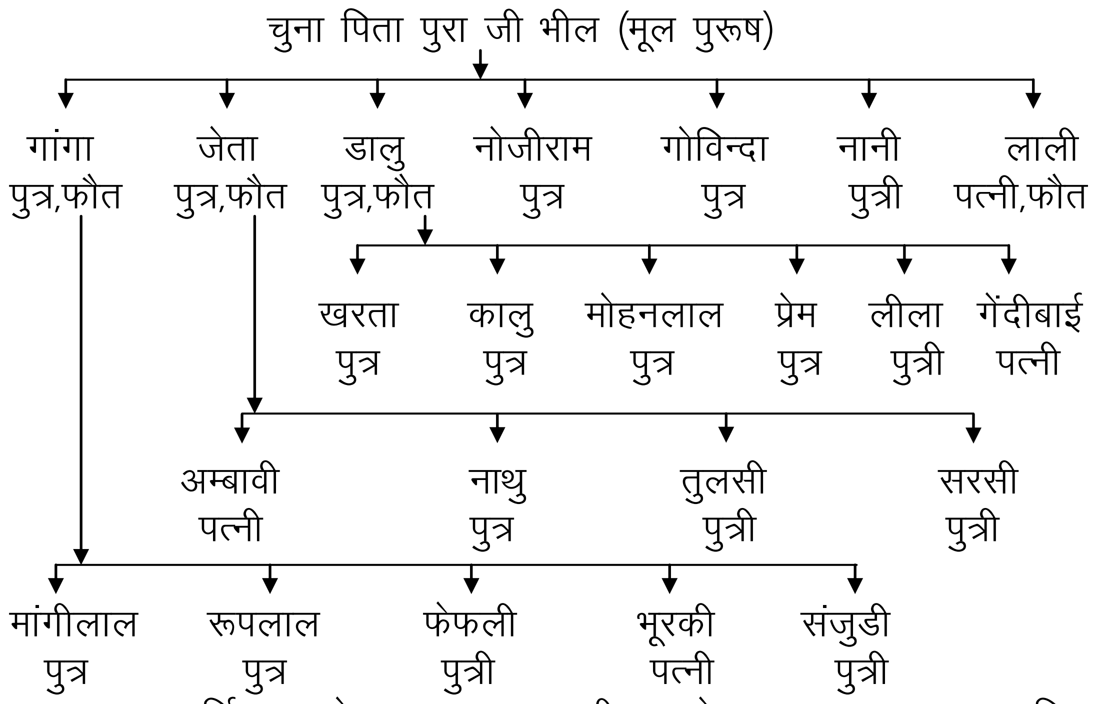

उक्त वर्णित सजरे अनुसार हम वादीगण के मूल पुरूष स्व. चुना पिता पुरा भील थे, जिनके छः वारिस पुत्र गंगाराम, जेता, डालु, नोजीराम, गोविन्दा, पुत्री नानी एवं पत्नी लाली हुए। गंगाराम उर्फ गांगा का निधन हो गया है, जिनके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 5 है। डालु पिता चुना भील का भी निधन हो चुका है। जिनके वारिस वादी संख्या 3, प्रतिवादी संख्या 10 से 14 है। नौजीराम, गोविन्दा एवं पुत्री नानी जीवित है, पत्नी लाली का निधन हो चुका है। उक्त वर्णित आराजीयात संवत 2032–2035 की जमाबन्दी में हम वादीगण के मौरूस श्री चुना पिता पुरा भील के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज थी तत्पश्चात हमारे पिता चुना भील का निधन हो जाने से उक्त वर्णित कृषि भूमि जो हम वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है, जरिये विरासत हमारे मौरूस चुना भील के स्थान पर संवत् 2032–35 में गांगा, जेता पिता चुना भील के नाम पर जरिये इन्तकाल संख्या 42 राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज हो गई। जबकि उक्त वर्णित कृषि भूमि हम वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिनमें हम वादीगण को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा उक्त वर्णित भूमि में हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 अपने अपने हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज हो उपयोग उपयोग कर रहे है।

3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात जो हमारे मौरूस श्री चुना पिता पुरा जी भील के नाम पर दर्ज थी, जिनके देहावसान के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता/पति गांगा जी भील एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के पिता जेता भील के नाम पर राजस्व अधिकारियों ने दर्ज कर जबकि स्वर्गीय चुना जी के अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:46:19 IST
Reason: SelfAttested

वारिसान भी उस वक्त जीवित थे। उक्त वर्णित कृषि भूमि हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें हम वादीगण को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुके है किन्तु हम वादी संख्या 1 व 2 एवं वादी संख्या 3 के पिता एवं अन्य वारिसान के नाम पर दर्ज नही होने से हम वादीगण उक्त वर्णित हमारी पैतृक कृषि भूमि में अपने अपने हक की घोषणा करा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अपने नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज कराने के अधिकारी है।

4. यह कि हम वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भूमि हमारी पैतृक कृषि भूमि है, जिनमें हम वादीगण को जन्म से अधिकार प्राप्त हो गये है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता/पति गांगा उर्फ गंगाराम एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के पिता जेता ने अपना नाम उक्त पैतृक कृषि भूमि में दर्ज करवा लिया जबकि हमारे मौरूस स्वर्गीय चुना भील के हम वादीगण एवं अन्य वारिसान जायन्दा पुत्र पुत्रिया मौजुद थे, किन्तु हमे हमारे हक हिस्से से महरूम करने की नियत से हम वादीगण एवं अन्य वारिसान का नाम जानबुझकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नही दर्ज करवाया गया। उक्त वर्णित कृषि भूमि हम वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिनमें हम वादीगण को जन्म से ही हक अधिकार प्राप्त हो गये है इसलिए हम वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारीणी है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 9 हम वादीगण को हमारी हिस्सा भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी भी तरह से दखलन्दाजी नहीं करें, बेदखल नही करें, कब्जा नही करें, किसी अन्य को रहन, बैह, बक्षीस एवं अन्य तरीके से हस्तान्तरित नही करें, भूमि की किस्म परिवर्तित नही करें, किसी भी प्रकार का कच्चा अथवा पक्का निर्माण कार्य नही करें, उक्त कार्य न स्वयं करें न ही अपने नौकर, चाकर एजेन्ट के मार्फत करावें। स्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति अथवा नुकसान होने वाला नही है, बल्कि स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही होने से हम वादीगण को जो अपरिमित क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति के बिन्दू भी हम वादीगण के पक्ष में है।

5. यह कि हम वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 15.09.2022 को उत्पन्न हुआ, जब हम वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 16 व 17 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh [illegible] Punadia
Date: 2025.07.14 11:46:19 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वर्णित कृषि भूमि हिस्से अनुसार हमारे नाम पर दर्ज करवाने हेतु कहा तो उन्होंने हमें न्यायालय में दावा कर अपने नाम की घोषणा करा नाम दर्ज करने को कहा तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

6. अंत में निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट अ में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम अंकित 1/8 हिस्से में से एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के पिता जेता पिता चुना भील के नाम दर्ज कुलिया 1/8 हिस्सा कृषि भूमि में हम वादीगण को हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर हम वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में हिस्से अनुसार अंकित करवाया जावें। वाद पत्र की कलम संख्या एक के परिशिष्ट ब में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम अंकित 1/4 हिस्से में से एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के पिता जेता पिता चुना भील के नाम दर्ज कुलिया 1/4 हिस्सा कृषि भूमि में हम वादीगण को हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर हम वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में हिस्से अनुसार अंकित करवाया जावें। हम वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 9 उक्त वर्णित भूमि में हम वादीगण को अपने हक हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे, इसमें किसी भी तरह से दखलन्दाजी नही करे, बेदखल नही करें, कब्जा नही करे, किसी अन्य को रहन बैह, बक्षीस एवं अन्य तरीके से हस्तान्तरित नही करें, भूमि कि किस्म परिवर्तित नही करें, उक्त कार्य न स्वयं करें, न ही अपने नौकर, चाकर, एजेन्ट के मार्फत करावें। राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या 16 से 17 को पाबंद फरमाया जावे कि ता फैसला मूल वाद उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन नही करें, राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 से 15 का वकालत पत्र अधिवक्ता विजय आमेटा द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 से 15 द्वारा जवाब पेश नही करने से जवाब का अवसर बंद किया। प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:46:19 IST
Reason: SelfAttested

गए। प्रतिवादी संख्या 16, 17 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रकरण में तनकीयात कायम की आवश्यकता नही रहने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी गवाह पीडब्ल्यू 1 वादी संख्या 1 स्वयं नौजीराम पिता चुना भील का शपथ पत्र पेश हुआ। वादी स्वयं द्वारा दस्तावेजात मौजा आंवलियो का कुंआ की की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 104 प्रदर्श 1, खाता संख्या 105 प्रदर्श 2, मौजा ओडवाडिया की नकल जमाबन्दी सम्वत 2032 – 35 प्रदर्श 3, जेता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श 4, सरपंच गुडली द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 करवाए गए। साक्ष्यवादी गवाह पीडब्ल्यू 2 मोहनलाल पिता डालु भील का शपथ पत्र प्रस्तुत कर साक्ष्यवादी जिरह सम्पन्न करवाई गई। साक्ष्यवादी गवाह डीडब्ल्यू 1 मांगीलाल पिता गांगा भील, गवाह डीडब्ल्यू 2 नाथु पिता जेता भील के बयान करवाए गए।

8. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तो उभय पक्षकारान को आपत्ति नही है।

9. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारन की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रदर्श 3 ग्राम ओडवाडिया तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2022–25 के अनुसार आराजी नम्बर 275, 276, 277, 278 किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि चुना, धर्मा पिता पुरा के भील के नाम दर्ज है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 279 रकबा 4 बिस्वा भूमि चुना, धर्मा पिता पुरा 1/2, रूपा, भगा, टीला पिता हुक्मा 1/2 भील सा. देह दर्ज थी। कॉलम संख्या 16 में अंकित नोट अनुसार विरासत चुना फौत हो चुका है जायन्दा लड़के गांगा, जेता है। नामान्तरकरण संख्या 42 से रद्दोबदल की स्वीकृति हुई। प्रदर्श – 1 व 2 अनुसार ग्राम आंवलियो का कुआ पटवार हल्का गुडली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 104 पर दर्ज आराजी नम्बर 279 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि जेता पुत्र चुना 1/8 हिस्से से , भूरकी पत्नी गांगा, फेफली पुत्री गांगा, मांगीलाल पुत्र गांगा, रूपलाल पुत्र गांगा, संजुड़ी पुत्री गांगा के प्रत्येक के नाम 1/40 हिस्से से दर्ज है तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है। खाता संख्या 105 पर दर्ज आराजी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Suvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:46:19 IST
Reason: SelfAttested

275, 276, 277, 278 किता 4 कुल रकबा 0.8985 हैक्टर भूमि जेता पुत्र चुना 1/4 हिस्से से , भूरकी पत्नी गांगा, फेफली पुत्री गांगा, मांगीलाल पुत्र गांगा, रूपलाल पुत्र गांगा, संजुड़ी पुत्री गांगा के प्रत्येक के नाम 1/20 – 1/20 हिस्से से दर्ज है तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है। प्रदर्श 3 अनुसार यह तथ्य तो साबित हो चुका है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के मौरूस चुना पिता पुरा भील के नाम हिस्से अनुसार दर्ज रिकॉर्ड थी। चुना पिता पुरा भील के निधन के पश्चात प्रदर्श 3 के कॉलम संख्या 16 अंकित नोट अनुसार नामान्तरकरण 42 विरासत से चुना के दो पुत्र गांगा, जेता के नाम ही दर्ज की गई। प्रदर्श 5 ग्राम पंचायत गुडली द्वारा जारी सजरा अनुसार चुना पिता पुरा भील के पांच पुत्र गंगाराम, जेता, डालु, नोजीराम, गोविन्दा है तथा एक पुत्री नानी है। हिन्दुउत्तराधिकार अधिनियम के तहत किसी खातेदार के निधन के पश्चात उसके नाम दर्ज कृषि भूमि में उसके सभी वारिसान का बराबर हक हिस्सा निहित होता है। इस प्रकार चुना की मृत्यु के पश्चात उसके सभी वारिसान वादग्रस्त भूमि के खातेदार हो चुके थे। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा वारिसान की जांच किए बिना अपने मनमुताबिक विरासत का नामान्तरकरण पारित करवाकर केवल दो ही पुत्र गांगा एवं जेता के नाम दर्ज की गई। जबकि गांगा के पुत्र मांगीलाल एवं जेता के पुत्र नाथु द्वारा भी बयान में स्वीकार किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 चुना भील के वारिस है तथा वादग्रस्त भूमि सभी के नाम हिस्सेनुसार दर्ज की जाती है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित सजरे से स्पष्ट है कि खातेदार चुना पिता पुरा भील के पांच पुत्र गंगाराम, जेता, डालु, नोजीराम, गोविन्दा है तथा एक पुत्री नानी है। उक्त सजरे को वादीगण एवं जेता तथा गांगा के पुत्र भी बयान में स्वीकार कर चुके है। हिन्दुउत्तराधिकार अधिनियम के तहत किसी खातेदार के निधन के पश्चात उसके नाम दर्ज कृषि भूमि में उसके सभी वारिसान का बराबर हक हिस्सा निहित होता है। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा खातेदार चुना पिता पुरा भील की मृत्यु के पश्चात सभी वारिसान के नाम भूमि दर्ज नही करने से उक्त विवाद उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात गांगा, जेता, डालु का भी निधन हो गया। न्यायालय का मानना है कि हिन्दुउत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत वादग्रस्त भूमि चुना के सभी [illegible] हुई है। अतः वादीगण का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:46:19 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार किया जाकर चुना पिता पुरा के वारिसान को बराबर हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम आंवलियो का कुआ पटवार हल्का गुडली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 104 पर दर्ज आराजी नम्बर 279 किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.0324 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के मौरूस जेता पुत्र चुना भील के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादी संख्या 1 को 1/24 हिस्से से, वादी संख्या 2 को 1/24 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 15 को 1/24 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को संयुक्त रूप से 1/24 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 6 से 9 को संयुक्त रूप से 1/24 हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 10 से 14, वादी संख्या 3 को संयुक्त रूप से 1/24 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 105 पर दर्ज आराजी नम्बर 275, 276, 277, 278 किता 4 कुल रकबा 0.8985 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के मौरूस जेता पुत्र चुना भील के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादी संख्या 1 को 1/12 हिस्से से, वादी संख्या 2 को 1/12 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 15 को 1/12 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 6 से 9 को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 10 से 14, वादी संख्या 3 को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:46:19 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री नोजीराम पिता चुना जी जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
2. श्री गोविन्दा पिता चुना जी जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
3. श्री मोहनलाल पिता डालु जी जाति भील निवासी–ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.) ....वादीगण

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता गांगा जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
2. श्री रूपलाल पिता गांगा जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती फेफली पुत्री गांगा पत्नी मुला जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.) हाल मुकाम आसोलिया की मादड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर।
4. श्रीमती संजुड़ी पुत्री गांगा जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती भुरकी पत्नी गांगा जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
6. श्री नाथु पिता जेता जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती तुलसी पुत्री जेता पत्नी गोविन्दा जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.) हाल मुकाम नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
8. श्रीमती सरसी पुत्री जेता पत्नी मांगीलाल जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर हाल मुकाम करगेट तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
9. श्रीमती अम्बावी पत्नी जेता जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
10. श्री कालु पिता डालु जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
11. श्री खरता पिता डालु जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
12. श्री प्रेम पिता डालु जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
13. श्रीमती लीला पुत्री डालु पत्नी [illegible] जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:46:19 IST
Reason: SelfAttested

14. श्रीमती गेन्दीबाई पत्नी डालु जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
15. श्रीमती नानी पुत्री चुना पत्नी बाबुलाल जाति भील निवासी– ओडवाडिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
16. पटवारी पटवार हल्का गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 158/22 (वाद) GCMS No. – 2022/404

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम आंवलियो का कुआ पटवार हल्का गुडली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 104 पर दर्ज आराजी नम्बर 279 किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.0324 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के मौरूस जेता पुत्र चुना भील के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादी संख्या 1 को 1/24 हिस्से से, वादी संख्या 2 को 1/24 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 15 को 1/24 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को संयुक्त रूप से 1/24 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 6 से 9 को संयुक्त रूप से 1/24 हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 10 से 14, वादी संख्या 3 को संयुक्त रूप से 1/24 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 105 पर दर्ज आराजी नम्बर 275, 276, 277, 278 किता 4 कुल रकबा 0.8985 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के मौरूस जेता पुत्र चुना भील के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादी संख्या 1 को 1/12 हिस्से से, वादी संख्या 2 को 1/12 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 15 को 1/12 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 6 से 9 को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 10 से 14, वादी संख्या 3 को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.05.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:46:19 IST
Reason: SelfAttested